न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

मु.न.– .....276... / 2024

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गोपी किशन जाति व्यास निवासी वार्ड नं. 03 कस्बा तारानगर जिला चूरू।

– वादी –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

– प्रतिवादी –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

दिनांक .16.01.25....

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा ब्राह्मणवासी तहसील तारानगर के खसरा सं. 250 / 131 तादादी 1.9600 हेक्ट., खसरा सं. 253 / 131 तादादी 5.8167 हैक्ट. कुल तादादी 7.7767 हैक्ट. वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी के पिता की मृत्यु के बाद इन्तकाल वादी की माता लक्ष्मीदेवी के नाम दर्ज हो गया। बाद में वादी की माता लक्ष्मीदेवी की मृत्यु के बाद इन्तकाल वादी के नाम राजेन्द्र पुत्र लक्ष्मीदेवी दर्ज किया गया। राजस्व रिकॉर्ड में वादी अपना नाम राजेन्द्र पुत्र लक्ष्मीदेवी के स्थान पर राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गोपी किशन करवाने का निवेदन किया है। वादी का कथन है कि आधार कार्ड, पैन–कार्ड, पहचान–पत्र तथा अन्य दस्तावेजों में नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गोपी किशन है। नाम में भिन्नता होने के कारण वादी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब वादी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए वाद पेश कर रहा है। अतः कृषि भूमि रोही ब्राह्मणवासी तहसील तारानगर के खसरा सं. 250 / 131 तादादी 1.9600 हेक्ट., खसरा सं. 253 / 131 तादादी 5.8167 हैक्ट. कुल तादादी 7.7767 हैक्ट. में राजेन्द्र पुत्र लक्ष्मीदेवी के स्थान पर राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गोपी किशन किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रवाली किया गया। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण को कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

वकील वादी की बहस सुनी गई तथा खण्डन पेश नहीं होने से तनकी कायम नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर ने जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने अंकित किया कि रोही ग्राम ब्राह्मणवासी के खसरा नं 131 / 188 खातेदार गोपीकिशन पुत्र मुन्नीलाल जाति व्यास निवासी तारानगर के नाम से दर्ज थी। ग्राम ब्राह्मणवासी नामा. स. 246 दिनांक 28.02.2011 के अनुसार खातेदार गोपीकिशन फौत होने उपरोक्त भूमि उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई, जिसमें राजेन्द्र कुमार हिस्सा 1 / 5 सह खातेदारी में दर्ज हुआ। ग्राम ब्राह्मणवासी नामा. सं. 268 दिनांक 16.02.2012 के अनुसार राजेन्द्र कुमार सहित चार सह खातेदारों द्वारा अपनी माता लक्ष्मीदेवी के नाम (पक्ष) हक त्याग किया गया। ग्राम ब्राह्मणवासी नामा सं. 426 दिनांक 01.07.2019 से खातेदार लक्ष्मीदेवी पत्नी गोपीकिशन फौत होने से उपरोक्त भूमि में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र लक्ष्मीदेवी दर्ज हुआ जो कि वर्तमान में भी दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों आधार कार्ड, पहचान पत्र अनुसार वादी का नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गोपीकिशन है तथा पूछताछ के आधार पर वादी का नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गोपी किशन सही होना अंकित किया है। तत्पश्चात विरास्तन व दस्तबरदारी से उसकी माता लक्ष्मीदेवी के खातेदारी होना प्रकट हुआ है। लक्ष्मीदेवी के स्वर्गवास के बाद यह विरास्तन वादी के नाम खातेदारी होना पाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू

उक्त विरास्तन भूमि वादी की माता की खातेदारी होने से वादी की वल्दियत के माता लक्ष्मी देवी दर्ज हुआ है। जबकि वादी की पहचान पिता से होती है। उसके आधार–कार्ड, पैन कार्ड आदि में वल्दियत पिता गोपी किशन है। हिन्दु परम्परा व स्थानीय क्षेत्र में किसी व्यक्ति की पहचान उसके पिता के नाम की वल्दियत से होती है। चूकि विवादित भूमि स्व. गोपी किशन की रही है। राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजो में वल्दियत की भिन्नता होने से एक खातेदार को परेशानी होना लाजमी है। अतः वादी की वल्दियत उसके पिता गोपी किशन के नाम से की जानी न्यायोचित है। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पैन–कार्ड, पहचान–पत्र से वादी का नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गोपी किशन पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वल्दियत लक्ष्मीदेवी के नाम अंकित है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा ब्राह्मणवासी तहसील तारानगर के खसरा सं. 250/131 तादादी 1.9600 हेक्ट., खसरा सं. 253/131 तादादी 5.8167 हैक्ट. कुल तादादी 7.7767 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि **राजेन्द्र पुत्र लक्ष्मीदेवी Delete** कर इसके स्थान पर **राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गोपी किशन** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक ....16/01/25........ को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)